न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 5 / रेगूलर / 2023 (GCMS No. 2023 / 162)	18.07.2024	05.08.2024

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

श्री मनीष मीणा आ. मुकेश मीणा,
निवासी ग्राम बागदा, ग्राम पंचायत लालपुरा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति —
प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक (रसद)
अप्रार्थी की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर जब्तशुदा लोडिंग वाहन संख्या RJ20 GB 5425 मय 2340 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 05 / 2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2023 / 162 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जर्ये अधिवक्ता उपस्थित आया एवं दिनांक 12.09.2023 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये उक्त कार्यवाही खारिज किये जाने तथा उक्त वाहन संख्या RJ20 GB 5425 को प्रार्थी की सिपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 09.07.2023 को जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा थाना सदर बून्दी से प्राप्त सूचना पर सिलोर रोड पुलिया बून्दी के पास से एक लोडिंग वाहन संख्या RJ20 GB 5425 को डिटेन कर पुलिस द्वारा सदर थाना बून्दी में लाया गया। मौके पर मालखाना इंचार्ज की मौजूदगी में 09 ड्रम लोहे के व 9 जरिकेन प्लास्टिक की, में भरे हुये संदिग्ध सरल पदार्थ व गाडी के संबंध में जांच की गई। जिसमें जांच अनुसार 210 मीटर प्रति लोहे के ड्रम कुल 1890 लीटर तथा 9 जरिकेन प्रति 50 लीटर कुल 450 लीटर, इस प्रकार कुल 2340 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इसके संबंध में वाहन चालक मनीष मीणा से पूछताछ की गई जिस पर वाहन चालक द्वारा उक्त पदार्थ क्या है, कहां से आता है, कहां बिकता है, इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। वाहन चालक द्वारा केवल इतना बताया गया कि वह वाहन को अपने गांव ले जा रहा है जहां अपने खेत में इंजन चलाने वाले उपभोक्ता इस पदार्थ को खरीदते है क्योंकि यह उनके लिए सस्ता पडता है। इसके बाद मौके पर वाहन चालक द्वारा 5 ड्रम कय करने के संबंध में प्रस्तुत बिल अनुसार जनरल ऑयल ट्रेडर्स कोटा से उक्त तरल पदार्थ खरीद किया जाना पाया गया, किन्तु वह तरल पदार्थ की मात्रा एवं अनसिल्ड होने के कारण संदिग्ध की श्रेणी में मानकर सेम्पलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमाणित एल्यूमिनियम बोटल्स में 03 सेम्पल लिये गये। चूंकि उक्त तरल पदार्थ को डीजल ईंजनों में प्रयोग किया गया, जो डीजल से इतर अन्य मिलावटी संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में आता है। बिल केवल 5 ड्रम का ही है जबकि मौके पर 9 ड्रम व 9 जरिकेन जब्त की गई है। बिल अनुसार कीमत प्रति ड्रम 10,000/– अर्थात 47/– रू. प्रतिलीटर के करीब है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इस कारण मौके पर उक्त वाहन सं. RJ20 GB 5425 सहित 09 ड्रम लोहे के व 9 जरिकेन प्लास्टिक की, संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ सहित जब्त किया जाकर सुरक्षा वास्ते मालखाना इंचार्ज सदर थाना की सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से मोटर स्पीरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस अपने तर्क प्रस्तुत करते हुये बताया कि पुलिस थाना सदर बून्दी द्वारा अप्रार्थी का टाटा मोटर्स लि0 का वाहन रजिस्ट्रेशन नं. RJ20 GB 5425 में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन किया जाना बताया गया, जबकि अप्राथी अपने उक्त वाहन में अपनी कृषि कार्य के लिए कोटा से जर्ये बिल डीजल खरीद कर अपने गांव ला रहा था जिसको संदिग्ध पदार्थ मानकर प्रार्थी द्वारा जप्त किया गया। जबकि अप्रार्थी एक किसान है जो उक्त डीजल को प्रतिफल अदा करके अपनी फसल की पिलाई करने के लिए इंजन में डालने के लिए जर्ये बिल खरीद कर लाया है। अप्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है ऐसे में उक्त डीजल अप्रार्थी को वापस संभलाया जावे। यदि प्रकरण के विचारण में समय लगता है, तो थाने में जप्त रहने से उक्त वाहन के पार्टस व टायर आदि खराब होने का पूरा अंदेशा है। अतः उक्त वाहन मय उसमें रखी सामग्री उसके रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी की सिपुर्दगी में दिया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि दिनांक 09.07.2023 को सिलोर रोड पुलिया के पास जब्त वाहन RJ20 GB 5425 में 09 ड्रम लोहे के एवं 09 जरिकेन प्लास्टिक में भरा हुआ कुल 2340 लीटर अवैध/संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इसके संबंध में वाहन चालक अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से उक्त वाहन मय 2340 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ थाना सदर बून्दी द्वारा जब्त किया गया। जिला रसद अधिकारी, बून्दी की जांच में उक्त पेट्रोलियम पदार्थ संदिग्ध पाया गया, जिसे जांच हेतु भिजवाया गया है। मौका बयान में भी अप्रार्थी द्वारा इस संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन एवं अवैध विक्रय की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास उक्त संदिग्ध पदार्थ के परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंन्स नहीं होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त संदिग्ध पदार्थ का अवैध तरीके से अपने वाहन में रखकर परिवहन करना, भण्डारण करना तथा उसकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाये जाने से जब्तशुदा 2340 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने योग्य है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त पदार्थ लोहे के ड्रम एवं प्लास्टिक की जरीकेन में भरा हुआ है, जिसे जब्त किये जानें पर उक्त वाहन से उतार कर पृथक रखा जा सकता था, किन्तु उक्त वाहन के विरूद्ध बिना आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये उक्त वाहन को जब्त किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में यदि किसी अन्य न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं हो तो उक्त जब्तशुदा वाहन को उसके स्वामी की सिपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी